



# कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)



E-mail ID: nhmbalodabazaar@gmail.com

Tel.phone No. -07727-223550

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.आर./NS-2043/2023-24/4141

बलौदाबाजार, दिनांक 01/06/2023

## // विज्ञापन //

मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/NHM/HR/2023/NS-436/427 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 12.05.2023 के अनुसार पन्द्रहवें वित्त आयोग सत्र 2023-24 हेतु शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं (UHWC) में विभिन्न मानव संसाधन की स्वीकृति के अनुसार अंतर्गत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

अतः निम्नानुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु समस्त अर्हताधारी इच्छुक छत्तीसगढ़ मूल निवासी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) में दिनांक 01/06/2023 से 16/06/2023 समय शायं 05:00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं	पदनाम	कार्यक्रम	रिक्त पद	वेतनमान	योग्यता	अनारक्षित	अ.पि.व.	अनुजाति	अनु. जनजाति
01	Staff Nurse	UHWC	09	16,500/	01-B.Sc. Nursing/Post Basic B.Sc. Nursing 02-General Nursing and Midwifery (GNM) with CG Nursing Council registration (Final Merit List prepared on the basis of order of priority. like 1 & 2)	05	02	01	01
02	MPW (M)	UHWC	09	14000/	Must have passed Higher Secondary Examination (10+02) examination with Biology subject. One year Diploma in Multipurpose Worker Training or equivalent training from training center recognized by the State Government with registered in Chhattisgarh Paramedical Council.	05	02	01	01
03	Jr. Secretarial Assitant	UHWC	09	12,000/	12th Passed with at least 01 year computer diploma.	05	02	01	01
04	Class 4	UHWC	10	10,000/	10th Passed.	05	02	02	01

टीप :-

- यह विज्ञापन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. अंतर्गत मानव संसाधन नीति वर्ष 2018 के नियमों एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के आर.ओ.पी. के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।
- उक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति से संबंधित जानकारियाँ जिले के वेबसाइट [www.balodabazar.gov.in](http://www.balodabazar.gov.in) में प्रकाशित की जावेगी तथा इसके संबंध में पृथक से पत्र के माध्यम से कोई सूचना नहीं दी जावेगी। अतः समयानुसार वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थियों की होगी।
- विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- यह नियुक्तियां पन्द्रहवें वित्त आयोग के अधीन होगी। अतः यह समस्त कर्मचारी पन्द्रहवें वित्त आयोग के होंगे।
- यह नियुक्ति संविदा आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी, जो कि पूर्णतः अस्थायी होगी। नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। वार्षिक मूल्यांकन संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में ही संविदा सेवा अवधि में वृद्धि की जावेगी।
- यह नियुक्तियां वार्षिक कार्यमूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 05 वर्ष के लिए होगी तथा पन्द्रहवें वित्त आयोग की कार्यावधि के अनुसार निर्धारित होगी।
- सभी नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्र. 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधीन होंगी।



## नियुक्ति हेतु नियम व शर्तों एवं चयन प्रक्रिया

1. आवेदन का तरीका – आवेदन निर्धारित प्रारूप में केवल रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार किये जावेंगे। व्यक्तिगत अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आवेदन करने की अवधि :- आवेदन निर्धारित प्रारूप में दिनांक 01/06/2023 से 16/06/2023 समय 05:00 बजे तक ही स्वीकार किये जावेंगे। आवेदन की अंतिम अवधि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
3. मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन – अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में दिये गये समस्त प्रविष्टियां मूल दस्तावेज अनुसार सही होना चाहिए। अंतिम चयन के पूर्व या पश्चात् दस्तावेज जाँच में पाया जाता है कि आवेदन में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण या अधूरी है तो उन्हें आगामी अंतिम चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। चयन के पूर्व/पश्चात् किसी भी समय किसी भी पक्ष की ओर से जानकारी त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनका चयन निरस्त किया जायेगा।
4. आवेदनों का परीक्षण –प्राप्त सभी आवेदनों को विज्ञापन में निहित आवश्यक शर्तों एवं विज्ञापन में चाही गई दस्तावेज पूर्ण होने के आधार पर उम्मीदवारों की पात्र/अपात्र की सूची तैयार की जावेगी। जिसे जिले के वेबसाइट पर निर्धारित समय के लिए दावा-आपत्ति हेतु प्रकाशित किया जावेगा।
5. पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करना- प्राप्त आवेदनों में से रिक्तियों के आधार पर निम्न तालिका अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन तथा चयन हेतु आहुत किया जावेगा।

क्र.	कुल विज्ञापित पदों की संख्या	दस्तावेज सत्यापन तथा चयन लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या
1	01 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना
3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना

6. दावा-आपत्ति – दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को एक निश्चित समय दिया जावेगा, आवेदन में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर चयन समिति इन दावा आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तत्पश्चात् दावा आपत्ति एवं पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी किया जावेगा। दावा आपत्ति की तिथि के समाप्ति उपरांत किसी भी दावा/आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।
7. आयु सीमा – संविदा भर्ती के लिए चिकित्सकीय पदों हेतु नियमानुसार आयु दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष तथा प्रबंधकीय पदों हेतु आयु दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। (आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 8 वीं/10+2 की मार्कशीट के अनुसार की जावेगी)।
8. पात्रता की शर्तें –
  - I. आवेदन पत्र जिले के वेबसाइट से डाउनलोड करने के उपरांत आवश्यक प्रविष्टियां स्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
  - II. आवेदक को चाहिए कि विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में दिए गये सभी खानों को भली प्रकार से देख कर एवं सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र को चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। गलत जाति प्रमाण-पत्र देने या आवेदन पत्र में जाति संबंधित गलत जानकारी भरने या अन्य त्रुटि होने पर भी चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त किया जा सकेगा। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
  - III. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों को अच्छी तरह से नस्तीबद्ध कर पृष्ठ क्रमांक अंकित करें। आवेदन पत्र इस प्रकार निर्धारित क्रम में ही व्यवस्थित करें (1) आवेदन पत्र (2) ऑनलाइन जमा किये गये चालान की प्रति (3) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र (4) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (5) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (6) शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची (7) अनुभव प्रमाण पत्र (8) दिव्यांगता प्रमाण पत्र (9) संबंधित डिग्री तथा काउंसील का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (10) अन्य



प्रमाण पत्र। समस्त दस्तावेज की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें। उपरोक्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त करने का अधिकार चयन समिति का होगा।

- IV. अस्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न किये जाने की स्थिति में चयन होने उपरांत स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयनित पद हेतु अपात्र माना जावेगा।
- V. अभ्यर्थी, आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो राजपत्रित अधिकारी/स्वयं के द्वारा सत्यापित कर चिपकायें।
- VI. आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पुष्टि में निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- VII. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्थान से है उस संस्थान को यूजीसी, एआईसीटीई एवं संबंधित काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
- VIII. समस्त पदों हेतु निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नियमित कोर्स होने पर ही मान्य किया जावेगा, किसी भी परिस्थिति में अनियमित/Distance शैक्षणिक योग्यता को मान्य नहीं किया जावेगा।
- IX. आवेदक को जिला रोजगार कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जावेगा। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- X. जन्म तिथि के निर्धारण हेतु 8 वीं/10+2 की अंकसूची ही मान्य होगी।
- XI. आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्र जीवित (वैध) होना आवश्यक है। आवेदक को चाहिए कि आवेदन भरते समय आवश्यक सावधानी बरते अन्यथा बाद में आवेदक के द्वारा जन्म तिथि, वर्ग, विषय आदि में संशोधन मान्य नहीं होंगे।
- XII. आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने की स्थिति में चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात् किसी भी समय उसकी सेवा निरस्त की जा सकती है।
- XIII. लिफाफे के उपर टॉप में अपना नाम, आरक्षण का वर्ग एवं पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक से अधिक पद पर आवेदन करने हेतु प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

#### 9. अनुभव एवं नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र -

- I. अनुभव प्रमाण पत्र केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय (केन्द्रीय अथवा छ.ग. शासन का उपक्रम) संस्था/उपक्रम/निगम मंडल का ही मान्य होगा। आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ कार्यालय का नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, कार्यालय का आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव को अमान्य किया जावेगा।
- II. अनुभव प्रमाण पत्र (अंको की गणना हेतु) विज्ञापित पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय (केन्द्रीय अथवा छ.ग. शासन का उपक्रम) संस्था/उपक्रम/निगम मंडल का अनुभव ही मान्य होगा तथा निःशुल्क सेवा अथवा शासकीय निधि से भुगतान नहीं किये गये पदों के अनुभव मान्य नहीं किये जाएंगे। शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग के प्रति वर्ष का अनुभव हेतु 02 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष हेतु 10 अंक प्रदान किया जावेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति वर्ष अनुभव 03 अंक एवं अधिकतम 05 वर्ष हेतु 15 अंक प्रदान किया जावेगा। 01 वर्ष से कम के अनुभव की गणना नहीं किया जावेगा।
- III. शासकीय/अर्द्धशासकीय (केन्द्र व छ.ग. शासन का उपक्रम) संस्था/उपक्रम/निगम मंडल में कार्यरत आवेदक को नियुक्त प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसमें आवेदित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन अपात्र किया जावेगा।
- IV. छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्र. एफ 1-67/2021/सत्रह/एक नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 03.02.2023 के तहत कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं एक वर्ष में 06 माह तक कार्य अनुभव/सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को 06 माह का कार्य अनुभव रखने पर अनुभव के अधिकतम 10 बोनस अंक का लाभ दिया जावेगा। जिस हेतु नियुक्ति आदेश तथा नियुक्ताकर्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- V. स्टॉफ नर्स के पद हेतु जी.एन.एम./नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन आवेदकों को 01 वर्ष का 04 अंक देते हुए अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जावेगा।



## 10. चयन प्रक्रिया –

- I. पदवार चयन प्रक्रिया का विवरण –विज्ञापित पदों पर चयन निम्नानुसार विभिन्न शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के मेरिट के आधार पर होगा :-

क्र.	पद का नाम	चयन का आधार		
		शैक्षणिक योग्यता तथा तकनीकी शिक्षा का कुल 85 प्रतिशत	अधिकतम अनुभव का अंक	कोविड का बोनस अंक
1	Staff Nurse	शैक्षणिक योग्यता (बीएससी/पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग/जीएनएम) के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक	अनुभव का 10 अंक/15 अंक/20 अंक	अनुभव का 10 बोनस अंक
2	MPW (M)	शैक्षणिक योग्यता (12वीं) के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत अंक एवं तकनीकी शिक्षा (एम.पी.डब्ल्यू) के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 45 प्रतिशत अंक	अनुभव का 10 अंक/15 अंक	अनुभव का 10 बोनस अंक
3	Jr. Secretarial Assistant	शैक्षणिक योग्यता (12वीं) के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65 प्रतिशत अंक एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा का 20 प्रतिशत अंक	अनुभव का 10 अंक/15 अंक	अनुभव का 10 बोनस अंक
4	Class - 04	शैक्षणिक योग्यता (10+2) के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 85 प्रतिशत अंक	अनुभव का 10 अंक/15 अंक	अनुभव का 10 बोनस अंक

- II. उपरोक्तनुसार निर्धारित चयन प्रक्रिया में किसी एक पद हेतु एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में उन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जावेगी तथा अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को नियुक्ति दी जावेगी।
- III. चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत आवेदन में संलग्न किये गये सभी स्वप्रमाणित/अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वह आवेदित/चयनित पद हेतु अयोग्य माना जावेगा।
- IV. उक्त नियुक्ति का चयन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. अंतर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
- V. सभी नियुक्तियाँ संविदा आधार पर वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2024 तक के लिये होगी तथा पूर्णतः अस्थायी एवं अस्थानांतरणीय है।
- VI. अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर में उपस्थित होने के लिये किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- VII. अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के दौरान बुलाने का तात्पर्य यह नहीं होगा कि उनका चयन हो गया है।
- VIII. नियुक्ति के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जिले के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस हेतु आवेदक को किसी भी प्रकार की पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
- IX. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
- X. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवायें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/शासकीय/अर्धशासकीय विभाग/शासन द्वारा वित्त पोषण संस्था द्वारा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण से समाप्त की गई है, उन्हें अपात्र उम्मीदवार की श्रेणी में रखा जावेगा।
- XI. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत समान वेतन एवं समान सामर्थ्य आवेदकों को आवेदन करने की स्वतंत्रता रहेगी कि आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व उन्हें सेवा शर्तों के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। यह प्रमाण पत्र केवल नियोक्ता द्वारा जारी पर ही स्वीकार होगा।
- XII. चयनित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन/चयन उपरांत/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूलप्रतियाँ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- XIII. चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन प्रपत्र में भरी गई जानकारी तथा मूल दस्तावेजों में विभिन्नता पाए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

XIV. दस्तावेज सत्यापन एवं स्कूटनी के समय संबंधित व्यक्ति अथवा प्राधिकृत व्यक्ति यदि काउंसलिंग के समय उपस्थित नहीं है तो कार्य के प्रति रूची नहीं मानते हुए उस अभ्यर्थी का चयन निरस्त किया जावेगा।

**11. आवेदक हेतु अन्य दिशा-निर्देश :-**

- I. विज्ञापित संविदा पदों की संख्या परिवर्तनीय है, प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पदों की संख्या घटायी व बढ़ाई जा सकती है या निरस्त भी किया जा सकता है।
- II. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या का निराकरण करने एवं अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जिला बलौदाबाजार का होगा।
- III. जिला में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया जावेगा।
- IV. विज्ञापित संविदा पदों की संख्या में बैकलाग शामिल हैं।
- V. चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को बॉण्ड भरना होगा कि वह अन्य जगहों पर आवेदन करने के लिए संबंधित अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेंगे।
- VI. विज्ञापित पद के शैक्षणिक योग्यता के प्रतिशत का अंक एवं अनुभव के अंकों को जोड़कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी, जिससे रिक्त पदों के अनुपात में कंडिका क. 05 के अनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जावेगा।
- VII. विज्ञापित पदों हेतु जारी प्रतिक्षा सूची की वैधता सूची प्रकाशन की तिथि से आगामी 01 वर्ष या अगली भर्ती के विज्ञापन जारी होने तक के लिये वैध रहेगी, इस दौरान पद रिक्तता की स्थिति में उक्त प्रतिक्षा सूची से पदपूर्ति की जा सकेगी।
- VIII. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी तरह का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)